रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 31, 1980/कार्तिक 9, 1902

No. 208] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1980/KARTIKA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं 41-आईटीसी (पीएन)/80

नई दिल्ली 31 अक्तूबर 1980

विषय : फ्रांसीसी ऋण 1980-81 के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए लागू लाइसेंस शर्तें।

मिसिल स० आईपीसी/23(7)/80 भारत-फ्रांसीसी वित्तीय नयाचार, 1980-81 अर्थात् फ्रांसीसी सामान्य ऋण 1980-81 के अधीन आयात लाइसेंसों के निर्गमन का नियंत्रित करने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं 41 आईटीसी (पीएन)/80 के लिए परिशिष्ट

नई दिल्ली 31 अक्तूबर 1980

1 आयात लाईसेंसे

1 आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर संविदा करने के लिए चार महीने और पोतलदान पूर्ण करने के लिए 12 महीने की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए जारी किया जाएगा। लेकिन, पूंजीगत माल के आयातों के मामले में पोतलदान पूर्ण करने के लिए लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता जारी होने की तिथि से 24 महीनों के लिए होगी।

2 आयात लाइसेंस का रुपये में मूल्य राजस्व (सीमाशुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित और आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि का प्रचलित और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना स० 78-आईटीसी (पी एन)/74 दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस (सी) के मध्य भाग में निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की दर के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। यह सार्वजनिक सूचना यह भी व्यवस्था करती है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सी) में निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की दर पर लाइसेंस (सी) के मूल्य के नाम ऋणांकन करेंगे।

3 प्रत्येक लाइसेंस पर एक शीर्ष "फ्रांसीसी ऋण परियोजना भाग" या "फ्रांस ऋण गैर-परियोजना भाग", जैसा भी मामला हो, होगा। लाइसेंस कोड वर्गीकरण संख्या में दो प्रत्यय "एम/एफ ई"—परियोजना के लिए और "एम/एफ एन" गैर-परियोजना के लिए होंगे।

4 आयात लाइसेंस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातक को आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक तथा मूल्य और जिस तिथि तक संविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए जायेंगे उसकी सामान्य तिथि निर्दिष्ट करते हुए आयात लाइसेंस की प्राप्ति के तथ्य से आर्थिक कार्य विभाग (ई ई सी। अनुभाग) को अवगत कराना चाहिए।

5 जब तक नीचे के पैरा-20 की शर्त 6 अनुसार पूर्ण संविदा दस्तावेज चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते जब तक यह नहीं समझा जाएगा कि संविदा करने से संबंधित शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है।

6. जिस मामले में इस अनुबंध का चार महीनों के भीतर अनुपालन नहीं किया जाएगा, उसमें आयात लाइसेंस अवैध समझा जाएगा । लेकिन पार्टी द्वारा आयात लाइसेंस की शर्तों का समय के भीतर अनुपालन न करने के कारण बताते हुए मूल लाइसेंस के साथ आवेदनपत्र लाइसेंस प्राधिकारी को देने पर आयात लाइसेंस पुनर्वैध किया जा सकता है ।

7. पुनर्वैधीकरण के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक चार महीनों की और आगे अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीने से अधिक मांगी गई है तो ऐसे प्रस्ताव लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निरपवाद रूप से वार्षिक कार्य विभाग (ई ई सी-1 अनुभाग), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे ।

2—संविदा करना

8. फ्रांसिसी ऋण के अधीन जारी किए गए लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा निश्चित कीमत के आधार पर फ्रांसीसी संभरक के साथ करनी है ।

9. लेकिन, एक आयात लाइसेंस के अधीन एक से अधिक संविदाएं तभी की जा सकती हैं जबकि आदेश देने से पहले ऐसा करने के कारण बताते हुए वार्षिक कार्य विभाग से विशेष रूप से अनुमति प्राप्त कर ली गई हो ।

10. नीचे खंड 5 में निर्धारित क्रिया-विधि के अनुसार जब एक बार संविदा अधिसूचित कर दी गई हो तो उसके बाद उसमें मुख्य संविदा के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक संकलनों के तरीके से भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

यदि किसी मामले में भारतीय आयातक को यह अनुभव हो जाता है कि मुख्य संविदा में इसके मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के लिए संशोधन करने आवश्यक होंगे तो उसे तुरन्त ही मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात और वित्त मंत्रालय, वार्षिक कार्य विभाग, ई ई सी-1 अनुभाग-1 को मामलों के पूर्ण तथ्यों की सूचना देनी चाहिए और उनके मार्ग-दर्शन मांगना चाहिए ।

11. संविदा में सामान्यतः दोनों पार्टियां अर्थात् भारतीय आयातक और फ्रांसीसी संभरक द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता शामिल होगा अथवा इसमें भारतीय आयातक द्वारा दिया गया आदेश और फ्रांसीसी संभरक द्वारा स्पष्ट शब्दों में उस आदेश की स्वीकृति का पत्र शामिल होगा ।

12. जिस संविदा में दोनों पार्टियों के बीच विभिन्न शर्तों को बार-बार संशोधित/परिशोधित करने के पत्राचारों की श्रंखला शामिल होगी वह स्वीकार नहीं की जाएगी । ऐसे मामलों में दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकार की गई और हस्ताक्षरित शर्तों सहित एक अन्तिम दस्तावेज तैयार करने की सलाह दी जाती है । समुपकार संभरकों के भारतीय अधिकर्त्ताओं के लिए आदेश और/या ऐसे भारतीय अधिकर्त्ताओं द्वारा आदेश के लिए पुष्टिकरण स्वीकार नहीं किए जाते हैं ।

3—संविदा की शर्तें

13. संविदा लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर करनी चाहिए । यदि बीमा किसी भारतीय बीमा कंपनी को भारतीय रुपये में चुकाया जाता है तो संविदा लागत तथा भाड़े के आधार पर की जा सकती है, जो कि सरकारी अभिकरण या सरकारी क्षेत्र के संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित संविदाओं के लिए प्रत्येक मामले में अनिवार्य है । लागत-बीमा-भाड़ा संविदाओं के मामले में संविदा में जहाज पर्यन्त निःशुल्क कीमत, भाड़ा, बीमा खर्च और लागत तथा भाड़ा संविदाओं के मामलों में जहाज-पर्यन्त निःशुल्क कीमत और भाड़ा खर्च स्पष्ट रूप से अलग-अलग निर्दिष्ट होने चाहिए ।

यदि कोई आयातक जहाज पर्यन्त निःशुल्क आधार पर संविदा करना चाहता है तो ऐसा करने के कारण देते हुए वार्षिक कार्य विभाग (ई ई सी-1 अनुभाग), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से पूर्व अनुमति मांगनी चाहिए ।

14. यदि फ्रैंक संभरक के भारतीय अभिकर्त्ता को कोई कमीशन चुकाया जाना है तो यह संविदा के मूल्य से अलग फ्रांसीसी फ्रैंकों में दिखाया जाएगा । भारतीय अभिकर्त्ता का कमीशन रुपये में चुकाया जाएगा परन्तु आयात लाइसेंस के मूल्य के प्रति जोड़ा जाएगा ।

15. संविदा का रुपये में मूल्य आयात लाइसेंस के लिए लागू मुद्रा विनिमय की दर के अनुसार निश्चित किया जाएगा । देखिए उपर्युक्त पैरा 2.

16. संविदा की मूल्य सीमाएं :— प्रत्येक संविदा का मूल्य निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी के सामने निर्दिष्ट धनराशि से कम होना चाहिए :—

	फ्रां० फ्रैंक
(1) बृहत (भारी) औद्योगिक परियोजनाएं और भारी उपस्कर (परियोजना लाइन) के लिए परियोजनाएं	5,000,000
(2) पूंजीगत माल (परियोजना लाइन)	4,00,000
(3) उर्वरक (गैर-परियोजना)	700,000
(4) अन्य सामान (गैर-परियोजना लाइन)	80,000

17. माल फ्रांस मूल का होना चाहिए । माल के उद्गम स्थान के विषय में संविदा में एक अनुबंध समाविष्ट होना चाहिए । जहां कहीं ऐसे माल के एक भाग की स्वीकृति दी जाती है जो गैर-फ्रैंक उद्गम का हो तो तीसरे देश के आयातों के लिए फ्रांसीसी प्राधिकारियों के अनुमोदन का साक्ष्य प्रदर्शित करने वाला एक पत्र संविदा के साथ होना चाहिए ।

18. पोतलदान का पत्तन : यदि आवश्यक हो तो माल गैर-फ्रांसीसी पत्तनों से भी लादा जा सकता है ।

19. भुगतान की शर्तें : फ्रांसीसी क्रेडिट में आस्थगित भुगतान की व्यवस्था नहीं है । इसलिए फ्रांसीसी संभरक को पूरा भुगतान पोतलदानों पर/निर्माण पूरा हो जाने पर संयंत्र के नियोजित हो जाने पर नीचे की कंडिकाओं में निर्दिष्टानुसार किया जाएगा ।

20. अग्रिम भुगतान : संविदा लागू होने के समय चुकाई जाने वाली संभरणों को जहाज पर्यन्त निःशुल्क कीमत से कम से कम 5 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की अवश्य व्यवस्था होनी चाहिए । अन्य शर्तें जो किसी विशेष प्रकार के सम्बद्ध माल के लिए सामान्य अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रणाली के अनुसार क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच तय की जाती हैं की भी व्यवस्था की जा सकती है ।

21. लेकिन, जिस मामले में 5 प्रतिशत से अधिक अग्रिम भुगतान के लिए व्यवस्था करना हो उसमें कोई वचनबद्धता करने से पहले पूर्ण औचित्य के साथ वार्षिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

22. अन्य भुगतान : (क) औद्योगिक परियोजना :—लक्षण भुगतान की धनराशि के अतिरिक्त शेष धनराशि संविदा के अधीन उपस्कर के अन्तिम पोतलदान के समय या निर्माण के पूर्ण होने के समय या संयंत्र के नियोजित हो जाने के समय चुकाने की अनुमति है ।

जिस मामले में संविदा के अंतर्गत आने वाले संभरण/सेवाएं ऐसी हों कि उनमें ऐसी एक निष्पादन गारंटी की आपको आवश्यकता हो जिसमें इस संबंध में एक अनुबंध की आवश्यकता हो कि 10 प्रतिशत की अन्तिम किश्त माल के वितरण के पूर्ण होने या परियोजना पूर्ण होने के पर्याप्त समय के बाद तक देय नहीं होगी तो ऐसे मामले में आयातकों को चाहिए कि वे 10 प्रतिशत भुगतान अन्तिम पोतलदान के समय करने की शर्त

से सहमत हो जाएं और यह इस शर्त के अधीन है कि फ्रांसीसी संभरक द्वारा भारतीय आयातक को किसी अनुमोदित बैंक से एक निष्पादन गारंटी प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी गारन्टी अन्तिम पोत-लदान के माल के वितरण के पर्याप्त समय जो भारतीय आयातक और फ्रांसीसी संभरक के बीच आपस में तय किया जाए के बाद मुक्त की जानी चाहिए ।

लेकिन, भुगतान परियोजना की किस्म पर निर्भर करता है, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए संविदाओं के लिए भुगतान की व्यवस्था भी नीचे उप-कंडिका (ख) में वर्णित पण्य वस्तुओं की तरह की जा सकती है ।

(ख) पण्य वस्तुएं :—पण्य वस्तुओं (हल्के उपस्कर, फालतुपुर्जे, संघटक रसायन, उर्वरक, अन्य कच्ची सामग्री आदि) के लिए संविदाओं में तत्क्षण भुगतान बाद शेष धनराशि प्रत्येक लदान द्वारा शामिल माल के मूल्य के अनुसार पोत-परिवहन अनुसूची के आधार पर यथा अनुपात देय होगी ।

23. अन्य शर्तें :—फ्रांसीसी क्रेडिट के अंतर्गत संविदा को वित्त दान के लिए अर्हक बनाने के लिए ऊपर निर्दिष्ट उपबन्धों के अतिरिक्त और संविदा करने वाली पार्टियों द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य उपबंधों के भी अतिरिक्त हमें निम्नलिखित उपबन्ध भी उचित रूप से समाविष्ट होने चाहिएं :—

(1) संविदा करने वाली दोनों पार्टियां सहमत हैं कि संविदा भारत-फ्रांस वित्तीय शर्तों के अनुसार और उसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गई लाइसेंस शर्तों के अनुसार विशेष फ्रांसीसी क्रेडिट के अंतर्गत वित्तदान के लिए भारतीय और फ्रांसीसी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन है ।

(2) फ्रांसीसी संभरक सहमत है कि भारतीय और फ्रांसीसी प्राधिकारियों द्वारा संविदा के अनुमोदन के बाद सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए अनुदेश पत्र के आधार पर बैंक्यू नैशनले डि पेरिस को दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसको फ्रांसीसी फ्रेंक्स में भुगतान किया जाएगा ।

(3) भारतीय आयातक और फ्रांसीसी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने को सहमत हैं जो भारत सरकार और फ्रांसीसी सरकार के बीच फ्रांसीसी क्रेडिट व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मांगे जाएं ।

24. प्रथागत गारन्टी :—आयातक समझौते में ऐसी प्रथागत गारन्टी (यों) की व्यवस्था कर सकता है और दे सकता है जो उसके हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो ।

4. संविदा दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण

25. संविदा समाप्त होने के 20 दिन के भीतर आयातक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ई ई सी-1 अनुभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजना चाहिए :—

(1) भारतीय आयातक और फ्रांसीसी संभरक दोनों द्वारा हस्ताक्षरित और अंग्रेजी भाषा में विधिवत कार्यान्वित संविदा और बाद में किए गए किसी संशोधन (नों) की 10 प्रमाणित प्रतियां ।

(2) आयातक द्वारा फ्रांसीसी संभरक को दिए गए आदेश की फ्रांसीसी संभरक द्वारा संविदा स्वीकृति की निष्पादन तिथि की संविदा करने के लिए वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत विदेशी मुद्रा के व्यापारी अनुसूचित बैंक से बैंक गारन्टी (अनुबन्ध-1 के अनुसार) । यह बैंक गारंटी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत नहीं की जानी है ।

"प्रोजेक्ट क्रेडिट्स" के अधीन आयातों के मामले में आयातकों के बैंकर्स द्वारा प्रेषित अनुबंध-1 में संदर्भित बैंक गारंटी में संशोधन किया जाए :

(1) निम्नलिखित खंड को पैरा-9 के उप-पैरा 2 के रूप में निर्दिष्ट किया जाए :—

"लेकिन इस बैंक गारंटी के अधीन ..... (बैंक का नाम) का दायित्व उस सीमा तक कम हो जायेगा जितना कि यह विधिवत् सरकार को या तो ..... या (बैंक का नाम) सर्वश्री ..... (आयातक का नाम) द्वारा भुगतान कर देता हूं और सरकार बैंक को ऐसे भुगतान की लिखित सूचना दे देती है ।"

(2) बैंक गारन्टी के पैरा-3 के अन्त में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाएं :—

"..... और इस बाण्ड के अधीन ..... (बैंक का नाम) का दायित्व के संपूर्ण, अप्रतिबद्ध एवं अपरिवर्तनीय होने से हम ..... आयातकों द्वारा उठाये गए (बैंक का नाम) किसी भी विवाद या विवादों या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में किसी मुकद्दमें या कार्रवाई के विचाराधीन होने पर भी मांगी गई धनराशि सरकार को देने की प्रतिज्ञा करते हैं एवं वचन देते हैं ।"

(3) अनुबंध-2 में अनुबद्ध ब्यौरे 3 प्रतियों में आयातक द्वारा इन सभी दस्तावेजों के भेज दिए जाने के बाद ही केवल संविदा पर आगे कार्यवाही की जाएगी ।

5. संविदा को अधिसूचित करना

26. संविदा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आर्थिक कार्यों के सलाहकार, फ्रांसीसी दूतावास, नई दिल्ली को अधिसूचित की जाएगी, यदि यह पूर्ण है, दस्तावेज बैंक गारंटी आदि सहित सही है तो आयात लाइसेंस संविदा करने के लिए वैध है और फ्रांसीसी क्रेडिट के अधीन वित्तदान के लिए अर्हक समझा जाएगा ।

27. संविदा उपर्युक्त अनुसार आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना के 20 दिनों के बाद लागू समझी जाएगी बशर्ते कि इस अवधि के भीतर फ्रांसीसी दूतावास द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती ।

6. भुगतानों के तरीके

28. संभरक को भुगतान, बैंक्यू नेशनले डि-पेरिस को अनुबंध-3 में सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर फ्रांसीसी राजकोष ऋण और बैंक क्रेडिट से संविदा प्रभावी होने पर, सहायता लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूनाईटिड कामर्शियल बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले "अनुदेश पत्र" के आधार पर किए जाएंगे ।

29. फ्रांसीसी क्रेडिट के अंतर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंस के अधीन नीचे की शर्त 31 के सिवाय भारत से किसी भी धन प्रेषण की अनुमति नहीं है ।

30. ऊपर उल्लिखित अनुदेश पत्र के अनुसार भुगतान प्रभावी हो जाने के तुरन्त बाद बैंक प्रभारों (एक प्रतिशत दस्तावेजीकरण खर्च का 1/8 उस पर 17.60 प्रतिशत की दर से कर) और डाक खर्च आदि

के ब्यौरो के साथ दस्तावेजो (परक्राम्य) का मूल सेट, बैंक्यू नेशनले डि-पेरिस द्वारा निम्नलिखित को भेजा जाएगा —

(1) भारत मे आयातक के उस बैंक को जिसने निजी क्षेत्र के निर्यातो के मामले मे बैंक गारन्टी प्रदान की है या

(2) सार्वजनिक क्षेत्र प्रक्रमो, राज्य सरकारो जिसमे राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल है और केन्द्रीय सरकार के विभागो के मामले में भारत के स्टेट बैंक की मनोनीत शाखा को या राष्ट्रीयकृत बैंको में से किसी एक बैंक को।

31. बैंक्यू नेशनले डि-पेरिस से बैंक प्रभारो की सूचना प्राप्त करने के सात दिनो के भीतर ही भारतीय बैंक केवल प्रभारो और डाक खर्चो की धनराशि को भारत सरकार के लेखे प्रभावित किए बिना फ्रांस के सम्बद्ध बैंक को सीधे ही प्रेषण करेगा।

32 इस कार्य के लिए उनकी गारन्टी के अन्तर्गत यथा[illegible] धनराशि के अलावा भारतीय बैंक द्वारा भारतीय आयातक से आवश्यक रुपये वसूल किए जाएगे।

33 केन्द्रीय सरकार के विभागो द्वारा आयातो के मामले मे केवल प्रभारो सहित बैंकिंग प्रभारो एव डाक खर्चो के प्रेषण की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के विभागों के उन बैंको द्वारा की जाएगी जिन्हे दस्तावेज भेजे जाते है।

7. रुपये में भुगतान को प्रभावित करना

34 (1) राज्य विद्युत बोर्डो सहित निजी क्षेत्र के आयातक, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रक्रम एव राज्य सरकार के विभाग.— ऊपर की कडिका 30 मे उल्लिखित दस्तावेजो की प्राप्ति के अधिक से अधिक 10 दिनो के भीतर ही जिस बैंक ने गारन्टी जारी की है वह या भारत के स्टेट बैंक की नामित शाखा अथवा राष्ट्रीयकृत बैंको के बीजक में यथा सकेतित विदेशी सभरकों को दिए गए भुगतान के समतुल्य रुपये जमा करने की व्यवस्था करेगा और साथ ही सभरको को किए गए भुगतानो का मूल्य 1 प्रतिशत की दर से कमीशन और आकस्मिक प्रभार भी करेगा। उसके अतिरिक्त विदेशी सभरको को किए गए भुगतान एव समतुल्य रुपये जमा करने की तारीख के बीच की वास्तविक अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना स० 46-आईटीसी (पी एन)/76, दिनाक 16-6-76 के अनुसार प्रथम तीस दिनो के लिए 9% वार्षिक ब्याज और इससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक ब्याज या अन्य कोई धनराशि जिसकी अपेक्षा भारत सरकार से की जाएगी उसे भी सरकारी खाते मे चुकाया जाएगा।

समतुल्य रुपये प्रकार सार्वजनिक सूचना स० 108-आईटीसी (पी एन)/72, दिनाक 21-7-72 तथा 8-आईटीसी (पी एन)/76 दिनाक 17-1-76 द्वारा यथा सशोधित वाणिज्य मत्रालय की सार्वजनिक सूचना स० 15-आईटीसी (पी एन)/72, दिनाक 28-1-72 म दिए गए फार्मूले के आधार पर मिली-जुली दर पर किया जाएगा या मुख्य नियत्रक, आयात की सार्वजनिक सूचनाओ के माध्यम से समय-समय पर अधिसूचित सूचनाओ के आधार पर किया जा सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार के विभाग —केन्द्रीय सरकार के विभागो द्वारा किए गए आयातो के मामले म भी ऊपर कडिका 30 मे उल्लिखित दस्तावेज उनके बैंकर को साथ ही भेज जाएगे। ये बैंक इसके बदले मे इस बात का सुनिश्चिय करेंगे कि विभाग सम्बद्ध लेखा एव लेखा परीक्षा नियत्रक को सूचना देते हुए (नीचे की कडिका 36 देखे) सार्वजनिक सूचना स० 74-आईटीसी (पी एन)/74 दिनाक 31-5-74 मे निर्धारित प्रपत्र में चालान द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इडिया, नई दिल्ली मे या स्टेट बैंक ऑफ इडिया तीस हजारी मे या भारत सरकार के खाते के लिए स्टेट बैंक ऑफ इडिया, तीस हजारी के नाम से डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा रुपया जमा कराते है। यह लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत रुपया जमा किया जाता है वह इस प्रकार है "843 सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजेस एसेट्रा एब्राड—डिपोजिट्स अडर फ्रैंच क्रेडिट फार 600 मिलियन फ्रैंच परचेस फार 1980-81" ब्याज के भुगतान के बारे मे व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिए लागू नहीं होगी।

35 भारत में जिस सबद्ध बैंक ने गारंटी दी है या भारत के स्टेट बैंक या 14 राष्ट्रीयकृत बैंको म से किसी एक, जैसा भी मामला हो, को सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व होगा कि देय धनराशिया सरकारी लेखे मे ठीक तरह से जमा की गई है।

36 जमा या तो भारत के रिजर्व बैंक, नई दिल्ली मे या भारत के स्टेट बैंक, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 मे किया जा सकता है या भारत के स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा या इसके उपसगी से डिमाड ड्राफ्ट के माध्यम से भारत के स्टेट बैंक की तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशिती तथा प्राप्ती) के नाम मे और क्रेडिट के लिए उसे केन्द्रीय सरकार के लेखे मे जमा करने के लिए सार्वजनिक सूचना स० 74-आईटीसी (पी एन)/74 दिनाक 31-5-74 द्वारा यथा सशोधित वाणिज्य मत्रालय की सार्वजनिक सूचना स० 184-आईटीसी (पी एन)/68, दिनाक 30-8-1968 तथा सार्वजनिक सूचना स० 233-आईटीसी (पी एन)/68, दिनाक 14 अक्तूबर, 1968 के अनुसार धन प्रेषण किया जा सकता है। अन्य बातो के साथ-साथ चालान मे अनुदेश पत्रों की सख्या और दिनांक विदेशी मुद्रा की धनराशि लागू की गई मिश्रित दर, सभरको का भुगतान की तिथि और रुपया जमा करने की तिथि तथा अन्य सभी आवश्यक ब्यौरे जो सार्वजनिक सूचना स० 132-आईटीसी (पी एन)/71, दिनाक 5-10-71 एव सार्वजनिक सूचना स० 74-आईटीसी (पी एन)/74 दिनाक 31-5-74 मे निर्धारित किए गए हैं, सकेतित होने चाहिए। मूल धनराशि 1 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से आकस्मिक प्रभार और सार्वजनिक सूचना सख्या 46-आईटीसी (पी एन)/76, दिनाक 16-6-76 के अनुसार 9% 15% की दर से ब्याज भुगतान को अलग-अलग दर्शाना चाहिए और साथ ही जिस अवधि के लिए ब्याज वसूला गया है, उसे भी दर्शाना चाहिए ब्याज की गणना करते समय यह मूल धनराशि जमा 1 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से आकस्मिक प्रभार होगा। डिमाड ड्राफ्ट राजकोष चालान विधिवत पूर्ण और प्रेषक द्वारा हस्ताक्षरित है के साथ चार प्रतियो मे भारत के स्टेट बैंक, दिल्ली 6 को सीधे ही भेजना चाहिए। लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत धनराशि जमा होना है, वह है, के डिपोजिट्स एड एडवासिज (बी) डिपोजिट्स नाट बियरिंग इन्टेरेस्ट 843-सिविल डिपोजिट्स फार परचेजज फ्रोम एब्राड अन्डर 600 मिलियन एफ एफ जनरल क्रेडिट 1980-81।

37. राजकोष चालान की एक प्रति और एक प्रपत्र जिसमे यह प्रमाणित किया गया हो रुपया विधिवत् भारत के रिजर्व बैंक या भारत के स्टेट बैंक, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 द्वारा प्राप्त कर लिया गया है या डिमान्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के सबध मे सूचना सम्बद्ध बैंक द्वारा सहायता लेखा नियत्रक को उसके द्वारा जारी किए गए निदेश पत्र का उल्लेख करते हुए और बीजक तथा पोतलदान दस्तावेजों की प्रतियो को भी सलग्न करते हुए रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए। राजकोष चालान के नवीनतम आकार के अन्तर्गत टिप्पणी-1 के अनुसार डिमान्ड ड्राफ्ट को दर्ज करने की तारीख ही सरकार के खाते मे समतुल्य रुपये जमा कराने की तारीख समझी जाएगी। आयातकों से सही अवधि के लिए ब्याज की वसूली को निश्चय करने के लिए यह आवश्यक है कि डिमान्ड ड्राफ्ट को जिस तारीख को दर्ज किया जाता है उसकी सूचना प्रत्येक मामले म निरपवाद रूप से सहायता लेखा एव लेखा परीक्षा नियत्रक को भेज दी जानी है।

38. आयातक के लिए आवश्यक होगा कि वह आवश्यक रुपया केवल व्यापारी के माध्यम से ही जमा करे। भारतीय बैंक भी आयात लाइसेंस की विदेशी मुद्रा विनिमय नियत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपो की धनराशि का पृष्ठाकन करेगा और आवश्यक एस प्रपत्र को भारत के रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजेगा।

39 आयातक द्वारा किए गए रुपया निक्षेपों की पुनरीक्षा: पोत-लदान पूर्ण होते ही, परन्तु अन्तिम पोतलदान पारित होने के एक महीने से अधिक नहीं, आयातक के बैंक द्वारा अनुबन्ध-4 में दिए गए प्रपत्र में पंजीकृत डाक द्वारा एक विवरण सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक-कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को आयातक को सूचना देते हुए भेजा जाएगा। आयातक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि सम्बद्ध बैंक द्वारा अनुबन्ध-4 का प्रपत्र ठीक तरह से तैयार किया गया है और सम्बन्धित अनुदेश पत्र में प्राधिकृत पोतलदानों के पूर्ण होने के एक महीने के भीतर वह प्रपत्र सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेजा गया है।

आयातक के बैंक की जानकारी में आने पर या सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक द्वारा संकेत करने पर किसी भी कम निक्षेप को तुरन्त सुधार दिया जाएगा और प्राप्त किए गए सम्बद्ध राजकोष चालान की प्रति आयातक के खाते को बन्द करने के प्रयोजनार्थ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेज दी जाएगी।

"प्रोजेक्ट क्रेडिट्स" के अधीन आयातों के मामले में आयातकों के बैंकर्स द्वारा प्रेषित अनुबन्ध-1 में संदर्भित बैंक गारन्टी में संशोधन किया जाए :

(1) निम्नलिखित खण्ड को पैरा 9 के उप-पैरा 2 के रूप में निविष्ट किया जाए :—

"लेकिन इस बैंक गारन्टी के अधीन. . . . .

. . . . का दायित्व उस सीमा
(बैंक का नाम)

तक कम हो जाएगा जितना कि वह विधिवत् सरकार को या तो. . . . . .या
(बैंक का नाम)

सर्वश्री . . . .
(आयातक का नाम)

द्वारा भुगतान कर देता है और सरकार बैंक को ऐसे भुगतान की लिखित सूचना दे देती है।"

(2) बैंक गारन्टी के पैरा-3 के अन्त में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाएं :—

"और इस बांड के अधीन. . . . .
(बैंक का नाम)

का दायित्व के सम्पूर्ण अप्रतिबद्ध एवं अपरिवर्तनीय होने में हम
(बैंक का नाम)

आयातकों द्वारा उठाये गये किसी भी विवाद या विवादों या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में किसी मुकदमे या कार्रवाई के विचाराधीन होने पर भी मांगी गई धनराशि सरकार को देने की प्रतिज्ञा करते हैं एवं वचन देते हैं।

8. विविध

40. भारतीय आयातक और फ्रैंच सम्भरकों के बीच यदि किसी प्रकार का झगड़ा होगा तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी।

41. भारतीय आयातक आयात लाइसेंस के सम्बन्ध में उठने वाले किसी एक मामले या सभी मामलों में सम्बन्धित सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निदेश, अनुदेश या आदेश का और फ्रांसीसी सरकार तथा फ्रांसीसी बैंकों के साथ ऋण समझौते के अधीन सभी दायित्वों को पूर्ण करने का तुरन्त पालन करेगा।

42. इसमें निर्धारित किसी भी शर्त का किसी प्रकार का उल्लंघन करने या इसे तोड़ने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और इसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबन्ध-1
[पैरा 25(3)]

बैंक गारन्टी बांड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति (जिसे आगे सरकार कहा गया है) के हेतु फ्रैंच क्रेडिट की शर्तों के अन्तर्गत (इसके बाद इसे आयातक कहा गया है) को उपर्युक्त फ्रैंच क्रेडिट के प्रति जारी किए गए लाइसेंस संख्या. . . . . दिनांक. . . . . .के अनुसरण में आयातक द्वारा . . . . के आयात के लिए फ्रांसीसी बैंक में भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए हम . . . . उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति और उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा करने के लिए आयातक द्वारा प्रार्थना करने पर सार्वजनिक सूचना सं० 103 आई०टी०सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 21-7-72 द्वारा संशोधित विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 15-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 28-1-72 में दिए गए फार्मूले या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के ए० डी० परिपत्र के आधार पर या भारत सरकार की सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित फार्मूले के आधार पर हिसाब लगाकर एफ०एफ०आई० के विनिमय की मिली-जुली दर पर परिवर्तित फ्रांसीसी बैंक. . . . . . . के समतुल्य भारतीय रुपए तथा उसके साथ उपर्युक्त दर में परिवर्तित 1% यथा मूल्य की दर से कमीशन तथा अन्य प्रभार और उस पर फ्रांसीसी सम्भरक को भुगतान करने की तिथि से लेकर सरकार के लेखे में जमा कराने की तिथि तक के समय के लिए प्रथम तीस दिनों के लिए 9% वार्षिक दर एवं इससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक दर के हिसाब से भुगतान की सूचना की पावती की तिथि से 10 दिन के भीतर जमा करने की व्यवस्था करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं। हम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 में सरकार के खाते में निक्षेप करने की व्यवस्था करेंगे और यह सम्भव नहीं हो पाने की स्थिति में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (केन्द्रीय सरकार के लेखे में क्रेडिट के लिए) के नाम में और इसको देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से व्यवस्था करेंगे। दर्शनी हुण्डी राजकोष चालान (विधिवत भरे हुए और प्रेषणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित) के साथ चार प्रतियों में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 को सीधे भेजा जाएगा।

2. हम. . . . . .बैंक, इस बात की भी जिम्मेदारी लेते हैं कि आयात दस्तावेजों के परक्राम्य सेट की रिहाई आयातक को केवल तभी की जाएगी जब कि उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जा चुका हो।

3. हम . . . . बैंक, किसी बकाया धनराशि को जो आयातक द्वारा सरकार को ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से चुकानी हो जैसा कि सरकार निदेश दे तो ऐसी बकाया धनराशि को. . . . . .रुपए से अधिक नहीं हो—या उसका कोई भाग और उस धनराशि के साथ फ्रैंच सम्भरकों को भुगतान की तिथि से आयातक द्वारा जितने समय तक यह देय रहे उस पर प्रथम

30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर से और इससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक हिसाब से ब्याज तथा कमीशन और यथा मूल्य 1% की दर से अन्य प्रभारों का आयातक द्वारा भुगतान न करने की त्रुटि पाई जाने पर हम क्षतिपूर्ति करने का और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का वचन देते हैं। आयातक द्वारा उक्त भुगतान करने की त्रुटि पर या उसकी तरफ से हमारे.................. बैंक द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में त्रुटि होने पर हमारे......... ....बैंक के लिए सरकार का निर्णय अन्तिम और अनिवार्य होगा।

4. हम......................बैंक, यह भी वचन देते हैं कि हम भारत सरकार के लेखे को प्रभावी किए बिना ही सम्बद्ध बैंक को अदा किए जाने वाले तार खर्चे सहित बैंक तथा डाक प्रभारों को प्रेषित कर देंगे और उसको आयातक से वसूल कर लेंगे।

5. हम.....................बैंक, आगे इस बात पर सहमत हैं कि मुद्रा विनिमय की अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि समानता दर से या अन्यथा परिवर्तन के परिणामस्वरूप, आयातों के मूल्य में वृद्धि या संविदा के अन्तर्गत माल की शेष सुपुर्दगी के मूल्य में वृद्धि की धनराशि का समायोजन इस गारन्टी बांड में उसी तिथि से और उसी अनुपात में कर दिया जाएगा जब से यह परिवर्तन लागू होगा।

6. हम...................बैंक, इससे भी सहमत है कि यह गारन्टी साज-समान की सुपुर्दगी के विषय में उक्त करार/संविदा के निष्पादन के समय तक और जब तक इस गारन्टी के अधीन या इसकी वजह से सारी बकाया धनराशि पूर्णतया नहीं चुका दी जाएगी और हमें इसके दावों की सन्तुष्टि या अदायगी नहीं कर दी जाएगी, तब तक पूर्ण रूपेण लागू और प्रभावी होगी।

7. इस गारन्टी बांड में निहित जिम्मेवारी आयातक या........ ....बैंक के संघटन में कोई परिवर्तन हो जाने पर प्रभावित नहीं होगी, और इस गारन्टी में प्राप्त जिस धनराशि का भुगतान आयातक से कराना है उसको चुकाने के लिए बाध्य करने के लिए सरकार को गारन्टी को रद्द किए बिना अपने द्वारा प्रयोग करने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय के लिए या समय-समय पर आयातक के लिए विरुद्ध प्रयोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी और पूर्वोक्त मामले के सन्दर्भ में या आयातक को दिए जाने वाले समय के कारण या आयातक को सरकार द्वारा उसकी तरफ से किसी अनुग्रह के कारण कोई अन्य स्थगन, कार्य या छूट या जिम्मेदारियों से सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत किसी अन्य मामले से किसी अन्य भी मामले से या किसी भी बात से सरकार के अधिकार की स्वतन्त्रता के कारण..................से बैंक इस गारन्टी के अधीन अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाएगा।

8. हम.................बैंक, अन्त में यह वचन देते हैं कि सरकार की लिखित रूप से पूर्व अनुमति के बिना हम गारन्टी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे।

9. इस गारन्टी के अन्तर्गत हमारा दायित्व ....@.... रुपये (इस पर ब्याज* प्रभार के साथ दी गई गारन्टी की धनराशि के 1 प्रतिशत की दर से अधिक होने की आशा नहीं है, तक प्रतिबन्धित है) और यह गारन्टी........दिन........(मास).....19.... तक लागू रहेगी।

10. लेकिन, हम ऐसे अतिरिक्त निक्षेप करने का वचन देते हैं जो समय-समय पर अधिसूचित सार्वजनिक सूचना संख्या 18 आई०टी०सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 28-1-72 की शर्तों के अनुसार आवश्यक हो। जब तक इस गारन्टी के अन्तर्गत इस तिथि के छह मास के भीतर लिखित रूप में दावे नहीं किए जाते और इसके बाद जैसे............तक अगले छह मास के भीतर जब तक इन दावों को क्रियान्वित करने के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता या कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो इस गारन्टी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकार, समाप्त हो जाएंगे और हम उनमें निहित सारे दायित्वों से छुटकारा पा जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे।

श्री........●.........दिन व तारीख.................

(नाम और ओहदा)

के द्वारा कृते....................

भारत के राष्ट्रपति के लिए

उनकी ओर से स्वीकृति।

हस्ताक्षर.................

@यह राशि संविदा के मूल्य के लिए मिली-जुली दर जो 1 एफ०फ०-1,822 रुपए हैं उसमें 1 प्रतिशत को जोड़कर ही निकाली जानी चाहिए।

*यह तिथि जिस तिथि को संभरकों के लिए सभी प्रकार के भुगतान पूर्ण होने की सम्भावना है, उसमें एक मास जोड़ते हुए निश्चित की जाएगी।

टिप्पणी : वह स्टाम्प पेपर, जिसमें यह गारन्टी कार्यान्वित होने वाली है, उसे कलक्टर द्वारा निर्णीत किया जाना है।

अनुबन्ध-2
(तीन प्रतियों में)
[पैरा 25(4)]

सेवा में,

सचिव,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
ई०ई०सी०-1 अनुभाग, नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली-1

विषय : फ्रांस ऋण 1980-81 के अन्तर्गत आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित क्रेडिट के अन्तर्गत फ्रांस से...का आयात
(माल तथा सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)
करने के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित ब्यौरा देते हैं :—

(क) आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस
   (1) संख्या
   (2) दिनांक
   (3) धनराशि
(ग) फ्रेंच सम्भरक का नाम और पता
(घ) संविदा का दिनांक
   अथवा
   आदेशों की स्वीकृति के सम्भरकों के अन्तिम पत्र का दिनांक
(ङ) गैर-फ्रांसीसी मूल के माल की प्रतिशतता, यदि कोई हो (अब फ्रांस में निर्मित किया गया हो)
(च) संविदा का मूल्य फ्रांसीसी फ्रेंकों में पोत पर्यन्त निःशुल्क कीमत (घटा) भारतीय एजेन्ट का कमीशन यदि कोई हो, कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य भाड़ा · · · ·
   लागत तथा भाड़ा कीमत बीमा यदि फ०फ्रें० में चुकाया गया हो · · · · ·
   ऋण के अन्तर्गत वित्त दान की जाने वाली कुल लागत बीमा भाड़ा कीमत · · · ·
(छ) (1) पोतलदान की तिथियां या वे तिथियां जिनको सेवा कार्य पूर्ण किए जाएंगे
   (2) संविदा में यथा निर्धारित, प्रत्येक पोतलदान या पूर्ण किए गए सेवा कार्य का मूल्य
(ज) वह तिथि जिसको इस संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होगा :—
   (1) अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में (जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का कम से कम 5 प्रतिशत)।
   (2) संविदा की (अथवा प्रत्येक आदेश तथा स्वीकृति पत्र की) और संशोधन (यदि कोई हो) की 10 साक्ष्यांकित प्रतियां और आयात लाइसेंस की दो फोटो स्टेट प्रतियां संलग्न की जाती हैं।
   *(3) एक बैंक गारन्टी जो · — केवल निजी क्षेत्र के आयातकों के लिए लागू है।
   ·
   (विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय निर्धारित बैंक का नाम और पता) द्वारा स्थापित की गई है और जो स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलेक्टर द्वारा न्याय निर्णीत की गई है वह भी संलग्न है।
   या
   *(3) आयात प्रलेख (स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा या राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों में से किसी बैंक का पूरा नाम तथा पता · को भेजा जा सकता है जो सार्वजनिक सूचना संख्या 108–आई०टी०सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 21-7-72 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 15–आई० टी० सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 28-1-1972 या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सार्वजनिक सूचनाओं या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा अधिसूचित ए०डी० परिपत्रों में दिए गए फार्मूले के आधार पर लगाए गए परिवर्तन की मिली-जुली दर पर परिगणित समतुल्य रुपए और फ्रेंच सम्भरक को भुगतान करने की तारीख से समतुल्य रुपये जमा करने की तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज और लाइसेंस शर्तों की कंडिका 15 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित यथा मूल्य की दर पर 1 प्रतिशत कमीशन और आनुषंगिक प्रभारों (प्रलेखीय प्रभारों के एक प्रतिशत का 1/8 और उस पर 17.60 प्रतिशत की दर से कर तथा वास्तविक डाक प्रभारों के लिए खर्च) के साथ सरकार के लेखे में जमा करने के केवल बाद ही हमें प्रलेख रिहा करेंगे। — सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य विद्युत बोर्ड सहित राज्य सरकारों के लिए लागू है।
   या
   *(3) सौदों से सम्बन्धित ऋण और · के लेखों में समंजनीय — केवल केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिए लागू।
   (लेखा अधिकारी का पदनाम और पूरा डाक पता)
   ऋण के विषय में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह लाइसेंस शर्तों के अनुसार मांगे जाते ही समंजित किया गया है।
   *(जो लागू नहीं है उसे हटा दीजिए)।
   (4) आपसे अनुरोध है कि फ्रेंच क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान करने के लिए संविदा अनुमोदित करा लें और सम्भरकों का सीधे भुगतान की व्यवस्था करने के लिए फ्रेंच प्राधिकारियों को आवश्यक प्राधिकरण-पत्र जारी करें।

भवदीय,
लाइसेंसधारी

अनुबन्ध-3
पैरा (28)

दस्तावेजों की निदर्शी सूची

1. पोतलदान किए गए उपस्कर के मूल्य तथा किसी भी नकद भुगतान के ब्यौरे, जैसा भी मामला हो, के लिए वाणिज्यिक बीजक।
2. जहां लागू हो पैकिंग सूचियों सहित समुद्री मार्ग प्रेषक बिलों या चार्टर पार्टी पोतलदान बिलों या वायुमार्ग बिलों जैसा भी मामला हो, की पूरा सेट, यदि कोई प्रमाण-पत्र संविदा में निर्धारित किया गया हो तो वह ।
3. आवश्यक सीमा-शुल्क दस्तावेजों सहित सम्भरकों द्वारा लिखित प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करते हुए कि फ्रांस सरकार द्वारा प्राधिकृत अदत्त व्यय का प्रतिशतता का फ्रांस सम्भरकों ने अनुपालन किया है ।
4. अन्य कोई दस्तावेज ।

अनुबन्ध-4
कंडिका (32)

.... फ्रैंच फ्रेक .... दिनांक .... के अन्तर्गत वित्त युक्त किए गए लदानों के पूर्ण होने के तुरन्त बाद ही आयातक के बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रपत्र

(1) आयातक का नाम ....

(2) आयात लाइसेंस की संख्या ....

(3) बी०जी० संख्या .... दिनांक ....
(निजी क्षेत्र के आयातक द्वारा पूर्ण किया जाना है)

(4) वित्त मंत्रालय के अनुदेश पत्र संख्या .... दिनांक ....

(5) फ्रैंच फ्रेक में अनुदेश पत्र की धनराशि ....

क्रम संख्या	फ्रैंच बैंक द्वारा फ्रैंच सम्भरकों को अदा की गई धनराशि फ्रैंच फ्रेकों में	फ्रैंच बैंक द्वारा सम्भरक को भुगतान करने की तारीख	कालम 2 में दर्शाई गई धनराशि के बराबर रुपए	1 प्रतिशत ... गणित ब्याज	भुगतान की तारीख ... तारीख तक के बीच पड़ने वाले दिनों की संख्या (दोनों दिनों को जोड़कर)
1	2	3			6
1.					
2.					
3.					
4.					
कुल					

ब्याज की धनराशि	वास्तविक किए गए कुल निर्धार	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली / रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली के राजकोष चालान की संख्या एवं दिनांक	प्राधिकृत किन्तु अप्रयुक्त धनराशि और जो न समाप्त हो गई हो (5) और कालम 2 का अन्तर
7	8		
1.			
2.			
3.			
4.			
कुल			

(1) उपर्युक्त जानकारी हमारे रिकार्ड से जांच ली गई है और सही पाई गई है ।

(2) उपर्युक्त अनुदेश-पत्र के अन्तर्गत फ्रैंच बैंक के सभी विविध बैंक-प्रभार, प्रेषित कर दिए गए हैं ।

(3) चूंकि हमारे बी०जी० संख्या .... दिनांक .... के अनुसार सभी दायित्व पूरे कर दिए गए हैं, इसलिए बी०जी० का कृपया मुक्त कर दिया जाए ।

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

Public Notice No. 41-ITC(PN)/80

New Delhi, the 31st October, 1980

Subject.—Licensing Conditions pertaining to French Credit 1980-81.

No. IPC/23(7)/80.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under Indo-French Financial Protocol 1980-81 i.e. French General Credit 1980-81 as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports

Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No. 41-ITC(PN)/80 dated the 31st October, 1980

I. IMPORT LICENCE

1. The import licence will be issued on C/F basis, with initial validity period of four months for contracting and twelve months for completing shipments. However, in the case of capital goods imports, the initial validity of the licence for completing shipments will be twenty four months from the date of issue.

2. The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74, dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s).

3. Each import licence will bear a superscription, "French Credit—Project Portion" or "French Credit Non-Project Portion" as the case may be. The two suffixes in the licence code classification number will be—for project—"S/FE" and for non-project "S/FN".

4. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate to the Department of Economic Affairs (EEC-I Section) the fact of receipt of the import licence indicating the number, date and value of the import licence and likely date by which the contract documents would be furnished.

5. The condition regarding contracting will not be deemed to have been complied with unless complete contract documents, as provided in para 25 below, are furnished within the stipulated period of four months.

6. Where this stipulation is not complied with within four months the import licence will be deemed to have become invalid. The import licence may, however, be revalidated on an application by the party, along with, the licence in original, to the licensing authority giving reasons for not complying with the requirements in time.

7. Such request for revalidation would be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension, is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (EEC-I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

II. CONTRACTING

8. Against an import licence issued under the French Credit only one contract on the basis of firm price has to be entered into with the French Supplier.

9. However, more than one contract under one import licence may be entered into subject to the permission specifically obtained from the Department of Economic Affairs, giving reasons for doing so, before placing orders.

10. Once a contract has been notified, in accordance with the procedure laid down in Section V below, no amendments to the contract, by way of additions thereto exceeding 10 per cent of the value of the main contract will be entertained.

11. In any case, the Indian importer apprehends that there will be need to enter into amendments to the main contract resulting in the enhancement of its value by more than 10 per cent, he should immediately inform the CCI&E and EEC-I Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance of the full facts of the case and seek their guidance.

11. A contract will normally comprise an Agreement signed by both the parties viz., the Indian importer and French supplier or it may comprise the order placed by the Indian importer and the letter of acceptance thereof in unequivocal terms by the French supplier.

12. A contract comprising a series of correspondence between the two parties frequently amending/revising various provisions will not be accepted. In such cases, it shall be necessary to prepare a final document including therein the terms agreed to by both the parties and signed as such—Orders on Indian Agents of overseas supplier and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

III. TERMS OF CONTRACT

13. The contract should be placed on C.I.F. basis. If insurance is paid to an Indian Insurance Company in Indian rupees, the contract can be placed on C&F basis, which is in any case compulsory for contracts signed by a government agency or a public sector undertaking. The contract should clearly indicate FOB price, freight and insurance charges separately in the case of C.I.F. contracts and the FOB price and freight charges in the case of C&F contracts.

If any importer desires to enter into a contract on F.O.B. basis, he should seek prior permission of the Department of Economic Affairs (EEC-I Section), Ministry of Finance, New Delhi giving reasons for doing so.

14. If any commission is to be paid to the Indian agent of the French suppliers, it will be shown separately from the value of the contract the French Frances. The Indian agent's commission will be paid in rupees but will be charged to the value of the import licence.

15. The rupee value of the contract will be determined in accordance with the rate of exchange applicable to the import licence vide para 2 above.

16. Value Limits of Contracts.—The value of each contract should not fall below the amount indicated against each category as under :—

(i)	Large(heavy) Industrial Project and Porject for heavy equipemt (Porect-Line).	5,000,000
(ii)	Capital Goods (Project Line)	700,000
(iii)	Fertilizers (Non-project)	700,000
vi	other goods (Non-project Line)	80,000

17. Origin of Goods.—The goods should be of French origin. A stipulation as to the origin of goods should be incorporated in the contract. Wherever a part of the goods is permitted to be of non-French origin, a letter evidencing approval of the French authorities to the third country imports should accompany the contract.

18. Port of Shipment.—Goods, if necessary, can be shipped from non-French ports.

19. Payment Terms.—The French Credit does not provide for deferred payments. Full payment will therefore be made to the French supplier against shipments/completion of erection/commissioning of the plant as indicated in the following paragraphs.

20. Advance payments.—An advance payment of at least a 5 per cent of the FOB price of the Supplies to be paid at the time of the contract coming into effect, must be provided. Other terms settled between the buyers and the sellers, in accordance with the normal international commercial practice for the particular type of goods concerned could also be provided.

21. However, where an amount higher than 5 per cent is to be provided for payment as an advance, prior approval of the Department of Economic Affairs should be obtained with full justification, before any commitments are made.

22. Other Payments : (a) Industrial Projects.—Apart from the amount of down payment, it is permissible to pay the balance amount at the time of last shipment of equipment under the contract, or at the time of completion of erection, or on commissioning of the plant.

Where the nature of supplies/services covered by the contract requires a performance guarantee, necessitating a provision to the effect that the last instalment of 10 per cent shall not fall due prior to the end of an adequate period after completion of the deliveries of goods or of the project, the importer should alternatively, agree to the provision for making hundred per cent payment at the time of last shipment subject to the condition that a performance guarantee of the an approved bank is furnished by the French supplier to the Indian importer; such a guarantee should be discharged at the end of an adequate period after the delivery of the last shipment as agreed mutually between the Indian importer and French supplier.

However, depending on the type of project, the payment for contract for industrial projects may also be provided for, as for the commodities, referred to in sub-paragraph (b) below.

(b) Commodities.—In the contract for commodities (light equipment, spares, components, chemicals, fertilisers, other raw materials, etc.) the amount left after down payment will be payable pro—rata according to the value of the goods covered by each shipment, on the basis of the shipping schedule :

23. Other Conditions.—To make a contract eligible for financing under the French Credit it should suitably incorporate the following provisions, apart from those indicated above as also any other condition considered necessary by the contracting parties :

(i) The two contracting parties agree that the contract is subject to the approval of the Indian and the French authorities for financing under the French Credit in terms of the Indo-French Financial Protocol and the licensing conditions issued thereunder by the Government of India.

(ii) The French Supplier agrees that he will be paid in French Francs on presentation of documents to the Banque Nationale de Paris, on the basis of a "Letter of Instructions" issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance after approval of the contract by the Indian and French authorities.

(iii) The Indian importer and the French Supplier agree to furnish such information and documents as may be required under the French Credit arrangements between the Governments of India and France.

24. Customary Guarantee.—The importer may arrange and provide for in the agreement customary guarantee(s) which may be necessary for safeguarding his interest.

IV. SUBMISSION OF CONTRACT DOCUMENTS

25. Within 20 days of the conclusion of the contract, the importer should send a letter accompanied by the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (EEC-I Section), North Block, New Delhi :—

(i) Ten certified copies of the contract and of any further amendment(s) duly executed in English language with dated signatures thereon by both the Indian importer and the French supplier.

(ii) Two photo copies of import licence valid for contracting on the date of execution of the contract/acceptance by French supplier of the order placed on him by the importer.

(iii) A bank guarantee (as in Annexure 1) obtained from a schedule bank authorised by the Reserve Bank of India to deal in foreign exchange. This bank guarantee is not to be furnished by the Government departments and public undertakings.

In cases of imports under "Project Credits" the Bank Guarantee referred to in Annexure-I furnished by the bankers of the importers may be amended :

(i) Insert the following clause as sub-para 2 of the para 9 :

"The liability of the——————————— under
(Name of the Bank)
this bank guarantee shall, however, stand reduced to the extent the payments are duly made to the Government either by the——————
——————or the M/s.——————
——————or the M/s.——————
(Name of the Importers)
and the Government advises the bank in writing the acceptance of such payments".

(ii) The following lines may be added at the end of para 3 of the bank guarantee :

"...............and that we.——————————
(Name of the Bank)
undertake and promise to pay the Government the amount demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by importers or any suit or proceedings pending in any court or tribunal, the liability of the——————————— under/
(Name of the Bank)
this Bond being absolute, un-conditional and irrevocable".

(iii) Other particulars stipulated in Annexure II in triplicate. The contract will be processed further only after all these documents have been furnished by the importer.

V. NOTIFICATION OF CONTRACT

26. The contract will be notified by the Department of Economic Affairs, to the Counsellor for Economic Affairs, Embassy of France, New Delhi, provided the contract is complete, the documents, including the bank guarantee, etc are in order, the import licence is valid for contracting and is considered eligible for financing under the French Credit.

27. The contract will be deemed to have become effective 20 days after its notification as above by the Department of Economic Affairs, provided no objection is raised by the Embassy of France within that period.

VI. METHODS OF PAYMENTS

28. Payments are made to the supplier from the French treasury loan and the banks credit, on presentation of documents listed in Annexure III to Banque Nationale de Paris on the basis of a "Letter of instruction" to be issued by the Controller of Aid Accounts & Auidt Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parlia-Bank Building, Parliament Street, New Delhi, on effect ment Street, New Delhi, on effectuation of the contract.

29. No remittance from India are permissible under the import licence under the French Credit, except in terms of condition 31 below.

30. Immediately after payments have been effected in accordance with the letter of instruction referred to above, the original set of documents (negotiable), alongwith details of bank charges (1/8th of one per cent documentation charge,

plus tax 17.6 per cent thereon) and expenses on postages etc. will be sent by the Banque Nationale de Paris to :—

(i) the importer's bank in India, which has provided the bank guarantee in the case of importers in the private sector; or

(ii) to the nominated branch of the State Bank of India, or of any one of the fourteen nationalised banks as indicated in the Letter of Instruction in the case of public sector undertakings, State Governments Including State Electricity Boards; and departments of the Central Government.

31. Within a week of receiving the intimation about bank charges, from the Banque Nationale de Paris, the Indian bank will remit the amount of banking charges and postage including cable charges directly to the French Bank concerned without affecting the Government of India's account.

32. For this purpose, necessary rupees will be collected by the Indian bank from the Indian importer, in addition to the amount required under their guarantee.

33. In respect of imports by Central Government Departments also, the remittances of banking charges and postage including cable charges will be arranged direct by the bankers of the Central Government departments to whom the documents are sent.

VII. EFFECTING RUPEE DEPOSITS

34. (i) Private Sector importers, public sector undertakings and State Government Departments including State Electricity Boards : Within ten days, at the maximum of receipt of the documents mentioned in condition 30 supra, the bank which has issued the guarantee, or the nominated branch of the State Bank of India or the nationalised banks will arrange the deposit or rupee equivalent of the payments made to the foreign suppliers as indicated in the invoice together with commission and incidental charges @1 per cent ad valorem, on the payments made to the suppliers. In addition, interest on the above at 9 per cent per annum for first thirty days and at 15 per cent per annum for the period in excess thereof in terms of Public Notice No. 46-ITC (PN)/76 dated 16-6-1976 for the actual period between the date of payment to the foreign supplies and the date of deposit of rupee equivalents etc. or/any other amounts, as may be required by the Government of India shall also be paid into the government account.

The rupee equivalent will be calculated at the composite rate arrived at on the basis of the formula given in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-72 as amended by the Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-1972, Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the Chief Controller of Imports and Exports.

(ii) Central Government Departments.—In respects of imports made by the departmentss of Central Government also, the documents mentioned in para 30 supra will be sent direct to their bankers, These banks will, in turn, ensure that the Departments makes the rupee deposits at the RBI, New Delhi or SBI, Tis Hazari Branch or through a Demand Draft drawn on and made payable to the SBI, Tis Hazari for credit to Government of India through Challan in Accounts & Audit (vide para 36 below). The Head of the form prescribed in Public Notice No. 74 ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 under intimation to the Controller of Aid Account to be credited is "843 Civil Deposits—Deposits for purchases etc. from abroad Deposits under French Credit for 600 million French Frances for 1980-81". The provision regarding payment of interest will not apply to Central Government departments.

35. It will be the responsibility of the concerned bank in India which has given the guarantee or the State Bank of India or one of the fourteen nationalised banks as the case may be, to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the original shipping documents are handed over to the importer.

36. Deposits may be made either at the Reserve Bank of India, New Delhi, or the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 or remitted by means of a demand draft from the local branch of the State Bank of India, or its subsidiaries, drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch Delhi-6 (drawee and payee) for credit to the Central Government Account in terms of Ministry of Commerce Public Notice No. 194-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968 and Public Notice No. 233-ITC(PN)/68 dated the 14th October, 1968 as amended by Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-74. The challan should inter alia, indicate letters of instructions No. and date, the amount of foreign exchange the composite rate applied, the date on which the supplier was paid and the date of rupee deposits and all other essential particulars prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-71 and Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-74. The principal amount, the incidental charges @ 1 per cent ad valorem and the interest payment at 9 per cent/15 per cent in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76 should be shown separately alongwith the period for which interest has been calculated. While working out the interest, it will be on the principal amount plus incidental charges at 1 per cent ad valorem. The demand draft should be sent direct to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 with treasury challan, (duly filled in and signed by remitter) in quadruplicate. The Head of Account to be credited is "K-Deposits & Advances (b) Deposits not bearing interest 843 Civil Deposits for purchases from abroad under 600 million FF French General Credit, 1980-81".

37. One copy of the treasury challan and form evidencing the rupee deposits duly receipted by the Reserve Bank of India, or the State Bank of India, Tis Hazari Branch-Delhi-6, or intimation regarding the furnishing of demand draft to State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 should be sent by registered post by the bank concerned to the Controller of Aid Accounts & Audit indicating reference to the letter of instruction issued by him and also enclosing capies of invoice and shipping documents. In accordance with Note 1 under the latest format of the treasury challan the date of posting the demand draft will be deemed to be the date of deposit of rupee equivalent in the Government account. To ensure recovery of interest from importers for the correct period, it is essential that the date of posting of the demand draft is invariably intimated to CAA&A in each case.

38. It will be obligatory for the importer to make the requisite rupee deposits through Authorised dealers only. The Indian bank will also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the import licence and send the requisite 'S' form to the Reserve Bank of India, Bombay.

39. Review of Rupee deposits made by the importer.— As soon as the shipments are completed, but not later than one months after the last shipment is cleared a statement in the form given in the Annexure-IV will be rendered by the importer's bank to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi under a registered cover, under advice to the importer. It will be obligatory on the part of the importer to ensure that Annexure-IV is correctly prepared by the Bank concerned and is rendered to the Controller of Aid Accounts & Audit within one month of the completion of shipments authorised in the relevant letter of Instructions.

Any short deposits coming to notice of importers' banks or pointed out by the CAA&A will be immediately made good and a copy of the relevant receipted treasury challan forwarded to CAA&A for closing the importers' account.

In case of imports under "Project Credits", the Bank Guarantee referred to in Annexure -I furnished by the bankers the importers may be amended :

(i) Insert the following clause as sub-para 2 of para 9 :

"The liability of the—————————
(Name of the Bank)
under this bank guarantee shall, however, stand reduced to the extent the payment are duly made to the Government either by the—————
(Name of the Bank),
or the M/s.——————————and the
(Name of the Importers)
Government advises the bank in writing the acceptance of such payments".

(ii) The following lines may be added at the end of para 3 of the bank guarantee :

".....and that we.....
(Name of the Bank)
undertake and promise to pay the Government the amount demanded not withstanding any dis- or disputes raised by importers or any suit or proceedings pendings in any court or tribunal, the liability of the .....
(Name of the Bank)
under this Bond, being absolute, un-conditional and irrevocable."

VIII. MISCELLANEOUS

40. The Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, which may arise, between the Indian importer and the French suppliers.

41. The Indian importer shall promptly comply with any directions, instructions, or orders issued by Government from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement with the French Government and French banks.

42. Any breach of violation of any of the condition prescribed herein will result in appropriate action under the Import and Exports (Control) Act, 1947 and orders issued thereunder.

ANNEXURE-I
[Para 25 (iii)]

BANK GUARANTEE BOND

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called the Government) have agreed to arrange for payment in FF for the import of .... by .....
(hereinafter called the importer)
under the terms and conditions of the French Credit and in pursuance of Import Licence No. .... issued on .....in favour of the importer against the above mentioned credit, We ....Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit within ten days of the receipt of the advice of payment Indian rupee equivalent to FF ..... converted at the composite rate of exchange of FF 1 arrived at on the basis of the formula given in Public Notice issued by the Ministry of Foreign Trade, New Delhi, No. 15-ITC(PN)|72 dated 28-1-72 as amended by Public Notice No 108-ITC(PN)|72 dated 21-7-72 or as notified from time to time in public notices of the Government of India or A.D. Circulars of the Reserve Bank of India alongwith commission and other charges at 1 per cent ad valorem converted at the above rate for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by the Government of India under the said credit, together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned from the date of payment to the French Supplier to the date of deposit of rupee equivalent for credit to the Government account. We shall arrange the deposit to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi|State Bank of India. Tis Hazari Branch Delhi-6, or where this may not be feasible by means of a Demand Draft drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch Delhi-6 (for credit to Central Government Account). The demand draft shall be sent direct to State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 alongwith Treasury Challan (duly filled it and signed by remitter), in quadruplicate.

2. We the .....Bank, also undertake that the negotiable set of import documents will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

3. We, the .....Bank, also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may direct, such sums not exceeding Rs. .....or any part thereof, for the time being due and payable by the importer together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned from the date of payment to the French supplier and commission and other charges @ 1 per cent ad valorem. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us ..... Bank, shall be final and binding on the ....Bank.

4. We .....Bank also undertake to remit the banking and postal including cable charges payable to the French Bank concerned and recover the same from the importer without affecting the Government of India account.

5. We .....Bank further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in composite rate of exchange or otherwise, the amount of this guarantee bond will be adjusted to this change.

6. We ....Bank, further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement|contract regarding delivery of the equipment and that it shall continue to be enforce till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

7. The Guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the .....Bank and the Government shall have the fullest liberty without the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importer and either to enforce payment by the importer of any of the amount the payment whereof is intended to be hereby secured and the .....Bank, shall not be released from its liability under this guarantee for any exercise of the Government of the liberty with reference to the matter aforesaid or by reason of time being given, to the importer or any other forebearance, act or omission on the part of the Government of any indulgence by the Government to the importer or by any other matter or thing whatever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the ....Bank from its such liability.

8. We, ...Bank, lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government in writing.

9. Our liability under this guarantee is normally restricted to Rs. ..... @..... (plus interest charges not expected to exceed one per cent of the guaranteed amount) and this guarantee shall remain in force till the ..... day* of ..... (Month) 19... .....

10. We, ..., however, undertake to make such additional deposits as may be necessary in terms of Public Notice No. 15-ITC(PN)|70, dated 28-1-72, as notified from time to time. Unless claims under this guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter, i.e. upto

...., all rights of the Government of India under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Dated........................ day of ....

for

Accepted for and on behalf of the President of India

by Shri..

(Name and designation)

Signature..

@ This amount should be worked out by adding 1 per cent to the value of the contract at the customs exchange rate prevailing on the date of issue of import licence.

This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments to the Suppliers are expected to be finalised.

Note : The value of the stamped paper on which guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps.

Annexure—II
(in Triplicate)
[para 25 (iv)]

To

The Secretary.
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
EEC-Section, North Block,
New Delhi-110001

Subject :—Import under the French Credit, 1980-81

Sir,

In connection with the import of———————————————————
(short description of the goods of services)

from France under the above credit, we furnish the following particulars : –

(a) Name and Address of importer.

(b) Import Licence :

(i) Number

(ii) Date

(iii) Amount

(c) Name and Address of the French Suppliers :

(d) Date of the Contract :

OR

Date of Suppliers final letter of acceptance of the order

(e) Percentage of goods of non-French origin, if any (now manufactured in France)

(f) Value of the contract in French Francs

FOB Price

less Indian agent's commission, if any. ————————————

Net FOB Price *plus* Freight ————————————

C&F Price *plus* Insurance, if paid in French Francs ————————————

Total CIF Price to be financed under the credit ————————————

(g) (i) Dates of shipment or on which services will be performed.

(ii) Value of each shipment or service performed, as stipulated in the contract.

(h) The date on which payments under the contract will fall

(i) in respect of advance payment (at least £5 of FOB value)

(ii) Other payments.

2. Ten certified copies of the contract (or each of the order and the letter of acceptance) and of the amendment (if any), and two photostat copies of the import licence are enclosed.

*3. A bank guarantee established by———————————————
name and address of the Indian bank, authorised to deal in foreign exchange)
——————————————————— Applicable to importers in private sector.

and which has been duly adjudicated by the Collector of Stamps, in accordance with Section 31 of the Stamp Act, 1899 is also enclosed.

OR

*3. the import documents may be sent to the——————————— Applicable to the Public Sector Undertaking and State Govts. including State Electricity Boards.

(complete name and postal address of the branch of State Bank of India or of any of the ———————————

fourteen nationalized banks).

who will release the documents to us only after making the deposit of the rupee equivalent into Govt. account calculated at the composite rate of exchange arrived at on the basis of formula given in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-72, as amended by Public Notice No. 108-ITC(PN)/72, dated 21-7-72 or as notified from time to time by public notices of the Government of India or by A.D. Circulars of the Reserve Bank of India *with interest at 6% per annum from the date of payment to the French Suppliers* to the date of deposit of rupee equivalent and commission and incidental charges at 1% *ad valorem* and after remitting banking charges (1/8th of *one* per cent documentation charges plus tax @17.60% thereon) and expenses for actual postage charges as required under the licensing conditions.

OR

*3. Debits relating to the transactions and adjustable in the books — — — — — — — — Applicable only to Department of Central Government.

— — — — — — — — — — — — — — —

(Designation & complete postal address of the Accounts Officer)
and we shall ensure that they are adjusted as soon as they are raised in terms of the licensing conditions.

*. Delete whichever is not applicable.

4. You are requested to get the contract approved for financing under the French Credit and issue necessary authorisation to the French authorities to arrange for payments to the suppliers or their bankers.

Yours faithfully,
Licensee

Annexure—III
(Para 28)

ILLUSTRATIVE LIST OF DOCUMENTS

1. Commercial invoice for the value of equipment shipped and for details of any down payments, as the case may be.

2. Complete set of clean-on-board ocean or charter party bills of lading or airway bills, as the case may be, with packing lists where applicable; certificate, if any prescribed in the contract.

3. Written attestation from the suppliers alongwith necessary customs documents, certifying that the French suppliers have complied with the percentage of Non-French expenses authorised by the French Government.

4. Any other documents.

Annexure—IV
(Para 32)

Form to be submitted by Importers' Bank immediately after the completion of shipments financed under Frrench Credit for FF—————dated——————for——————

(i) Name of Importer——————
(ii) Import Licence No.——————
(iii) B.G. No.——————date——————Amount——————(To be completed by Private Sector importer).
(iv) Ministry of Finance Letter of Instruction No.——————dated——————.
(v) Amount of Letter of Instruction in FF——————.

Sl. No.	Amount paid by French Banks to French Suppliers F.F.	Date of payment by the French Bank to Suppliers	Rupee equivalent of the amount in col. 2	1% incidental charges	No. of day intervening between the date of payment to suppliers to the date or rupee deposits (both days inclusive	Amount of interest	Total deposit actually made	SBI/Tis Hazari EBI/New Delhi Treasury Challan No. & date	***Amount authorised but not utilised and lapsed Difference (v) & col. 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(i)									
(ii)									
(iii)									
(iv)									
Total									

(i) The above information has been checked from our records and found correct.
(ii) All Miscellaneous banking charges of the French Bank under the above LI have been remitted direct to them.
(iii) As all obligations in transfer of our B.G. No.——————dated——————have been discharged the B.G. may please be released.

Signature of Authorised Officer of the Bank

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980